

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 61/2021 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2021/70)

अनवान:

1. रमनदीप कौर पुत्री जगजीत सिंह जाति जट सिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

.....अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चक 3 पी डब्ल्यू एम खाजूवाला जरिए सरपंच गाम पंचायत चक 3 पी डब्ल्यू एम।
2. बलजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. गुरविन्द्र सिंह
4. भूपेन्द्र सिंह पिसरान हरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. जगसीर सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जट सिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान।

.....रेस्पोंडेंट्स



२३.९.२५

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट का अप्रार्थीगण के साथ आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व पंचायत के माध्यम से राजीनामा हो गया है। अब प्रार्थिया अपीलांट उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। वरवक्त बहस अभिभाषक अपीलांट ने उपस्थित होकर उक्त अनवानी अपील को जरिये विद्वावल खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश दिनांक 06.09.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अभिभाषक अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्वा करना चाहते है। अतः अपील अपीलांट जरिये विद्वावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय इस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर

रमनदीप कौर  
admitted  
by  
singh  
23/9/25